रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 584] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 2010/आश्विन 28, 1932

No. 584] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2010/ASVINA 28, 1932

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2010

सा.का.नि. 848(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 610ख, के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप (तीसरा संशोधन), 2010 है।

(2) ये नियम 5 दिसंबर, 2010 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (केन्द्रीय सरकार) साधारण नियम और प्ररूप, 1956 के उपाबंध 'क' में,—

(i) प्ररूप सं. 1 में,—

(क) क्रम संख्यांक 8 में शीर्ष 'प्रवर्तकों की विशिष्टियां' [संगम ज्ञापन (एमओए) के पहले अभिदायी] के अधीन नीचे कंपनी का नाम प्रविष्ट करने के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''क्या सदस्य किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या आर्थिक अथवा दांडिक अपराधों के लिए या किसी कंपनी के संवर्धन, निर्माण या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है,

हां नहीं यदि हां तो ब्यौरे दें।''

(ख) उदघोषणा में, क्रम संख्यांक (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उदघोषणाएं क्रम संख्यांक (vii और viii) के रूप में अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(vii) यह कि सदस्यों ने उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या आर्थिक अथवा दांडिक अपराधों के लिए या किसी कंपनी के संवर्धन, निर्माण या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के ब्योरों के बारे में घोषणा की है;

(viii) यह कि सदस्यों ने यह घोषणा की है कि उसे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।''

(ii) प्ररूप सं. 32 में,—

(क) सत्यापन I में, क्रम संख्यांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित सत्यापन क्रम संख्यांक 4 के रूप में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''4. यह भी पुष्टि की जाती है कि नियुक्त किया गया (किए गए) निदेशक (निदेशकों) ने, जिसकी (जिनकी) विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं कंपनी को यह घोषणा की है कि उसे (उन्हें) किसी आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।''

[फा. सं. 1/06/2010 सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. संख्यांक 432क, तारीख 18 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 177(अ) तारीख 5 मार्च, 2010 द्वारा उनमें अंतिम संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2010

G.S.R. 848(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 642 read with Section 610B of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Central Government's) General Rules and Forms (Third Amendment), 2010.

(2) These rules shall come into force on the 5th day of December, 2010.

2. In the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956, in Annexurer 'A',—

(i) in Form No. 1,—

(a) in serial number 8, under the heading, Particulars of Promoters (first subscribers to the MOA), at the bottom after the entry Name of the company, the following shall be inserted, namely:—

"Whether the subscriber has been convicted by any court for any offence involving moral turpitude or economic or criminal offences or for any offences in connection with the promotion, formation or management of a company Yes NO If yes, provide details."

(b) in Declaration, after serial number (vi), the following Declarations as serial numbers (vii and viii) shall be inserted, namely:—

"(vii) That the subscribers have given declaration of details of his/her conviction by any court for any offences involving moral turpitude or economic or criminal offence or for any offences in connection with the promotion, formation or management of a company;

(viii) That the subscribers have given declaration that he/she has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court. "

(ii) In form No. 32,—

(a) in Verification I, after serial number 3, the following Verification as serial number 4, shall be inserted namely :—

"4. It is also confirmed that the appointed director(s) whose particulars are given above, has given a declaration to the company that he/she has not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court."

[F. No. 1/06/2010-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 432A, dated the 18th February, 1956 and were last amended vide number G.S.R. 177(E) dated 5th March, 2010.